

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. आर/17/4/96/ब-9/चार,

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय : स्थानान्तरण यात्रा प्रतिपूर्ति देने के संबंध में सुझाव।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के राजनैतिक सम्पर्क से किये गये स्थानान्तरण के मामले में संबंधित यात्रा-भत्ता नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. इस प्रकार के स्थानान्तरण स्वेच्छा से मांगे गये स्थानान्तरण माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(अवध बिहारी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक एफ. आर/17/4/96/ब-9/चार,

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 1999

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.